क्रमांक 1484/प्रशा0/सु.निविदा/2015 दिनांक 30.7.2015

# शुद्धिपत्र

विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु जारी की गई निविदा फार्म के पृष्ठ क्रमांक 1 के (ब) सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा पात्रता की शर्ते की

बिन्दु क्रमांक 7 सुरक्षा एजेंसी को निविदा के साथ ई.पी.एफ., सर्विस टेक्स वर्ष 2013–14 तक की निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है, के स्थान पर

निम्नानुसार पढ़ा जावें।

बिन्दु क्रमांक 7 सुरक्षा एजेंसी को निविदा के साथ ई.पी.एफ., सर्विस टेक्स वर्ष 2013–14 तक जमा करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

कुल सचिव
[illegible] विश्वविद्यालय
भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय
होशंगाबाद रोड, भोपाल

# विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिये निजी सुरक्षा एजेंसी/कंपनी के चयन संबंधी निविदा अभिलेख

दस्तावेज क्रमांक ...............................

दस्तावेज प्राप्त करने वाली संस्था का नाम ..............................................................

नोट : यह निविदा दस्तावेज अहस्तान्तरणीय है।

मूल्य रू. 2000/– (दो हजार मात्र)

## होशंगाबाद रोड, भोपाल

(अ) कार्य का परिचय :–

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद मार्ग (एन0एच0 12) पर स्थित है। परिसर का क्षेत्रफल लगभग 350 एकड़ का है। इस परिसर में सत्य भवन, विभिन्न शैक्षणिक भवन, 05 छात्रावासों, अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास गृह, अतिथि गृह आदि है। विश्वविद्यालय परिसर की 24 घंटे सुरक्षा हेतु कम से कम (क) सुपरवाईजर 04 (ख) सुरक्षा कर्मी 100 लगभग की सेवाओं के लिये निविदा प्रपत्र कार्यालयीन दिवस एवं समय में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सुरक्षा शाखा से दिनांक 27.07.2015 से दिनांक 26.08.2015 के सायं 4:00 बजे तक रू. 2000/– (दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाए दिनांक 31.08.2015 के अपरान्ह 01:00 बजे तक सुरक्षा विभाग में जमा कराई जायेंगी और दिनांक 01.09.2015 के अपरान्ह 3:00 बजे अकादमी शाखा के हाल में खोली जावेंगी। सुरक्षा ऐजेंसी निविदा के साथ रू. 40,000/– (चालीस हजार मात्र) का केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से देय हो, जो कि धरोहर राशि/सुरक्षा निधि के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा। चयनित होने वाली एजेंसी को इस राशि अर्थात् रू. 40,000/– में रू. 1,60,000/– अतिरिक्त जोड़कर रू. 2,00,000/– सुरक्षा निधि के रूप में विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। यह राशि विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की तिथि तक जमा रहेगी। जिस पर कोई ब्याज निविदाकर्त्ता को देय नही होगा।

निविदा तीन लिफाफा पद्धति में जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में धरोहर राशि का ड्राफ्ट एंव निविदा पत्र रखना होगा। लिफाफा 'ब' में तकनीकी जानकारी एवं सभी प्रपत्र व प्रमाण पत्र रखना होगा। लिफाफा 'स' में वित्तीय निविदा का विवरण रखना होगा एवं तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखकर ऊपर लिखे सुरक्षा कार्य हेतु निविदा।

सुरक्षा एजेंसी द्वारा निविदा के साथ संलग्न लिफाफा 'ब' में अंकित तकनीकी जानकारी निविदा की पात्रता एवं शर्तो के अनुरूप पाये जाने पर ही संबंधित सुरक्षा एजेंसी की वित्तीय निविदा लिफाफा 'स' खोला जावेगा। जो सुरक्षा एजेंसी तकनीकी रूप से योग्य नही पाई जाती, तो उनकी वित्तीय निविदा लिफाफा 'स' नही खोला जावेगा।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड़, भोपाल

इसे लिफाफा 'अ' में रखे

## **धरोहर राशि का प्रपत्र**

| क्र0 | विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | **निविदाकर्ता संस्थान का नाम** | |
| 2 | कार्यालय का पता पिनकोड सहित | |
| 3 | दूरभाष नं0 कार्यालय | |
| 4 | संस्था के मुख्य अधिकारी का नाम एवं पदनाम, मोबाइल नं0 सहित | |
| 5 | पत्र व्यवहार का पूर्ण पता<br><br>Email - | |
| 6 | स्थायी पता | |
| 7 | धरोहर राशि का विवरण बैंक ड्राफ्ट क्र0 एवं दिनांक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम (बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें) रू0 40,000 / – | |
| 8 | निविदा प्रपत्र अगर विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो बैंक ड्राफ्ट् कमांक एवं दिनांक तथा बैंक का नाम रू0 2000 / – | |

हस्ताक्षरः ..............................................

नाम : ..............................................

पद : ..............................................

पता : ..............................................

सील : ..............................................

## लिफाफा 'ब' में रखें

### उन संस्थाओं का विवरण जहाँ सुरक्षा ऐजेंसी वर्तमान में सुरक्षा प्रदान कर रही हैं।

| क्र0 | संस्था का नाम | सुरक्षाकर्मी की संख्या | कार्य आदेश क्र0 एवं दिनांक | कार्य की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

नोट :– सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा पात्रता की शर्त के बिन्दु क्रमांक के अनुसार न्यूनतम एक शासकीय विभाग/उपक्रम/संघ का विवरण अनिवार्य रूप से देवें।

**संलग्न दस्तावेजों का विवरण :–**

1. PAN की प्रति
2. श्रम विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र
3. EPF पंजीयन प्रमाण–पत्र
4. ई.एस.आई.सी. का पंजीयन
5. सर्विस टेक्स का पंजीयन
6. संस्था का पंजीयन
7. सुरक्षा प्रदान करने नियम 2005 के अन्तर्गत पंजीयन
8. सी.ए. द्वारा प्रदत्त बेलेन्स शीट/आडिट रिपोर्ट 2013–14 वित्त वर्ष
9. आयकर विवरणी 2013–14 वित्त वर्ष
10. 150 सुरक्षा कर्मियों के कार्य संबंधी आदेश/कार्यानुभव
11. EPF/ESIC जमा करने के प्रमाण–पत्र
12. म.प्र. श्रम कल्याण मंडल अधिनियम 1982 का अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र
13. PASARA Act. 2005 में पंजीयन प्रमाण–पत्र

मेरे/हमारी संस्था द्वारा निविदा कि साथ संलग्न सभी नियम/शर्तो सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ली गयी हैं एवं निविदा शर्तो का कड़ाई से पालन स्वीकार्य है।

स्थान : ..........................

दिनांक : ..................................

(हस्ताक्षर)
नाम
पद
(संस्था की सील सहित)

(ब) <u>सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा पात्रता की शर्तें</u> :– जिनके अभाव में निविदा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।

1. सुरक्षा ऐजेंसी के पास पूर्ण मध्यप्रदेश में सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु प्राइवेट ऐजेन्सी विनियमन अधिनियम 2005 के तहत आगामी एक वर्ष के लिये वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा एजेन्सी का पंजीयन ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 एवं सर्विस टैक्स विभागों के साथ भी होना चाहिए। आवश्यक प्रमाण निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

2. सुरक्षा ऐजेन्सी का सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में, कम से कम 5 वर्षो का अनुभव होना चाहिये एवं इस सुरक्षा क्षेत्र में सुरक्षा के क्षेत्र पिछले वर्ष का कुल टर्नओव्हर इस निविदा के सालाना प्राक्कलित मूल्य अर्थात रू. 2.00 करोड़ (दो करोड़ मात्र) से कम नहीं होना चाहिये एवं संस्था की वित्त वर्ष 2013–14 की किसी पंजीकृत चारटर्ड अकाऊंटेंट द्वारा की गयी ऑडिट रिपोर्ट की प्रति आयकर रिटर्न की प्रति एवं बेलेन्सशीट निविदा के साथ लगाना होगा।

   स्पष्टीकरण – सिर्फ सुरक्षा कार्य का टर्नओव्हर ही संलग्न करें। सफाई कर्मियों एवं अन्य कार्यो से संबंधित राशि जोड़ने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

3. विगत वर्ष 2013–14 में किसी शासकीय विभाग, उपक्रम, संघ आदि में कम से कम 150 सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने का अनुभव एवं कार्यादेश संलग्न करना अनिवार्य है।

4. संस्था द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 150 कर्मियों का ई.पी.एफ. एवं सेवा कर (सर्विस टेक्स) जमा करने का विगत 06 माह का ई.सी.आर. एवं चालान की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।

5. सुरक्षा ऐजेन्सी के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

6. निविदा के साथ धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के जमा की गई निविदाए अस्वीकार कर दी जावेगी।

7. सुरक्षा एजेंसी को निविदा के साथ ई.पी.एफ., सर्विस टेक्स वर्ष 2013–14 तक की निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

8. निविदाकर्ता द्वारा दी गई कोटेशन की दर श्रम कार्यालय, इंदौर द्वारा जारी एवं कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु जारी आदेश में उल्लेखित दरों में दी गई दर से कम नही होना चाहिए एवं निविदा जारी होने की तिथि पर लागू दरों से कम नही होना चाहिए। (पत्र की प्रति विश्वविद्यालय की वेब साइट www.bubhopal.nic.in पर निविदा प्रपत्र के साथ दी गई है) चूंकि उपरोक्त दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है अतः सुरक्षा अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरें भारत शासन द्वारा मान्य दरों से कम नहीं होंगी इस हेतु अनुबंध कर्त्ता द्वारा बढी हुई दरों का आदेश प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय तदनुसार भुगतान करने बाध्य होगा ।

9. म.प्र. श्रम कल्याण मंडल अधिनियम 1982 में पंजीकृत होना आवश्यक है एवं पिछले वर्षो के अंशदान अदायगी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

10. निविदाकर्ता यदि उपर्युक्त बिन्दु 8 में दर्शाये उपबन्ध को अतिक्रमण करते हुए कम दरें कोट करता है तो ऐसी निविदा को संक्षेपत रूप से बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं उस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।

11. सुरक्षा एजेंसी का वैद्य पंजीयन PASARA Act 2005 में संपूर्ण म.प्र. के लिये होना आवश्यक है प्रमाण पत्र संलग्न करें। जो निविदा जारी होने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष के लिये वैद्य हो।

निरंतर ........2........

(स) अन्य कार्य विवरण एवं सुरक्षा एजेंसी के दायित्व :–

1. सुरक्षा ऐजेंसी को 100 या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक 25 सुरक्षा कर्मियों के ऊपर 01 सुपरवाईजर होना आवश्यक है।
2. सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान/संवेदनशील स्थान, मुख्य द्वार, गोपनीय शाखा का प्रवेश द्वार, प्रशासनिक भवन, कर्मचारी आवास के पीछे का प्रवेश द्वार, विश्वविद्यालय के 05 छात्रावास, इन्जीनियरिंग संस्थान, फार्मेसी विभाग, ज्ञान विज्ञान भवन, शैक्षणिक विभाग, अधिकारियों के आवास, गेस्ट हाऊस आदि है तथा अन्य निर्देशित स्थानों पर भी 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात किया जाना होगा।
3. निविदाकार सुरक्षा ऐजेन्सी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय परिसर में अवांछित व्यक्तियों का प्रवेश न होने पाये एवं समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
4. सुरक्षा ऐजेन्सी का यह दायित्व होगा कि विश्वविद्यालय परिसर का दुरूपयोग न हो अनाधिकृत पार्किंग न की जावे तथा बिना अनुमति के परिसर में किसी प्रकार ठेला या दुकान या अन्य व्यापार न प्रारंभ किये जावें। सेल्समेन आदि को भी रोकना होगा।
5. सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी 8–8 घंटे में परिवर्तन किये जाने की जवाबदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी एवं किसी सुरक्षा कर्मी की एक माह में 36 से अधिक ड्युटी नही होगी ।
6. सुरक्षाकर्मियों की रहने की व्यवस्था सुरक्षा एजेंसी को स्वयं करनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से कोई आवास की व्यवस्था नहीं की जावेगी।
7. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेंसी किसी सब एजेंसी से कार्य नही करायगी।
8. सुरक्षा उपकरण एवं वर्दी की व्यवस्था एजेंसी को स्वयं करना होगी।

(द) सामान्य :–

1. सुरक्षा ऐजेंसी को भुगतान प्रतिमाह उसके देयक के आधार पर कार्य का सत्यापन करने के उपरान्त किया जायेगा।
2. निविदा कर्ता द्वारा वित्तीय निविदाओं सिर्फ सर्विस चार्ज की दर (जो 0 प्रतिशत से अधिक) होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत घोषित दर न्यूनतम अकुशल एवं कुशल हेतु नियमानुसार लागू होगी। विश्वविद्यालय द्वारा ई.पी.एफ. का अंशदान एवं ई.एस.आई.सी. का भुगतान शासन के नियमानुसार किया जावेगा।
3. जिन करों के मामले में टी0डी0एस0 का प्रावधान है उनकी कटौत्री विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान के पूर्व एट सोर्सेस किया जायेगा किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो टेक्स विश्वविद्यालय द्वारा एट सोर्सेस काटे गये हैं उनके दायित्व से निविदाकार को मुक्त माना जावे।
4. समस्त प्रकार के करों को चुकाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी।
5. **शर्त के उल्लंघन के कारण ठेके की समाप्ति :–**

कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा बगैर किसी पूर्वाग्रह के ठेके की शर्त का उल्लंघन होने पर इस ठेके का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है यदि :–
(अ) निविदाकार अनुबंध में वर्णित शर्तो के अनुसार अपने कर्तव्यों का निवर्हन नही करता है।
(ब) निविदाकार अपने कर्तव्य का निवर्हन के संबंध में कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के लिखित निर्देशों एवं चेतावनी के उपरांत भी अपने कार्य में सुधार नही करता है। इस संबंध में कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय सर्वोपरि एवं मान्य होगा।

निरंतर .........3.........

6. सुरक्षाकर्मी कार्य की अवधि में किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी।

7. सुरक्षा ऐजेन्सी द्वार दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन बायोमेट्रिक पद्वति से भी किया जा सकेगा। इसके असंतोषजनक पाये जाने पर मासिक भुगतान से उपस्थिति के अनुपात में कटोत्रा किया जायेगा। सुरक्षा व्यवस्था असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति का अनुबंध की अवधि में नुकसान होने पर ऐसे नुकसान के लिए भरपाई एजेंसी द्वारा जमा धरोहर/सुरक्षा निधि को राज–सात कर तथा अन्य देयकों के भुगतान से कटोत्री की जावेगी।

8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने की शक्ति विश्वविद्यालय को होगी। निविदाकार तथा विश्वविद्यालय के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर कुलपति का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

9. निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न कर्मियों की योग्यता एवं सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता का, समय–समय पर विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर धरोहर राशि से शास्ति की राशि काटकर निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

10. निविदा मान्य होने की स्थिति में निविदा कर्ता को दस कार्य दिवसों के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ एक अनुबंध करना होगा, जिसमें निविदा कर्ता के दायित्व होगे एवं कार्य सफलतापूर्वक/सतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में शास्ति का उल्लेख भी होगा। यह अनुबंध, कार्य आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी। सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था कार्यावधि के दौरान संतोषजनक पाये जाने पर कार्य अवधि आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। मान्य निविदाकर्त्ता को धरोहार राशि रू. 2 लाख होगी अतः उसे अंतर की राशि अनुबंध के अनुसार जमा करनी होगी ।

11. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जावेगा।

12. विश्वविद्यालय द्वारा चाही गयी अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण के अभाव में प्राप्त निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।

13. निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

14. ठेके की समाप्ति की स्थिति में कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को अधिकार होगा कि किसी अन्य एजेंसी की सेवाएं लेकर कार्य संपादित कराएगा एवं यदि यह कार्य समाप्त किये गये ठेको की दरों से ऊंची दरों पर कराया जाता है तो दरों के अंतर का आर्थिक भार प्रथम निविदाकार से वसूला जावेगा, जिसका ठेका उपर्युक्त अनुसार समाप्त किया गया है।

15. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

16. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपने निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गई अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जप्त कर ली जावेगी।

17. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मी की आयु 60 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए एवं उनका स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र निविदा मान्य होने पर संलग्न करना अनिवार्य है। कुल कार्यरत सुरक्षा कर्मियों में 75 प्रतिशत कर्मियों की आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए।

18. निविदाए बिना किसी शर्त के दिये जायेगें। किसी भी प्रकार की शर्त के आधार पर दी गई निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जावेगा।

19. निविदाकारों की समान दर या न्यूनतम दर का परीक्षण समिति द्वारा करने के उपरांत समिति स्वविवेक से निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगी। इस संबंध में किसी का दावा आपत्ति मान्य नही होगी।

20. निविदा एक वर्ष के लिये जारी की जावेगी। सुरक्षा कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी स्थिति में यह अवधि 04 वर्ष से अधिक नही होगी।

निरंतर .........4.........

21. कार्य की मात्रा / कार्य लागत / कार्य अवधि को कम या अधिक करने का अधिकार विश्वविद्यालय के अधीन सुरक्षित है।

22. सामान्यतः न्यूनतम दरों को मान्य किया जाता है परन्तु कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल न्यनतम दर को मान्य करने के लिए बाध्य नही है। निविदा के गुण दोषों के आधार पर किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार रखते है एवं इस प्रकिया में निविदा कर्ता को होने वाली किसी भी हानि के लिए जवाबदेह नही होगें।

23. सुरक्षा कर्मीयों द्वारा पहने जाने वाली युनिफार्म सुरक्षा एजेन्सी के अनुसार होगी एवं इसका प्रबंध उन्हें स्वयं के व्यय पर करना होगा।

24. सुरक्षा कर्मीयों को भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं सुरक्षा एजेन्सी का दायित्व होगा। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की यह जिम्मेदारी नही होगी।

25. सुरक्षा कर्मीयों के इन्शुरेन्स की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मीयों के साथ कोई भी दुर्घटना अथवा नुकसान के लिए जिम्मेदार नही होगा।

26. सुरक्षा एजेन्सी को विश्वविद्यालय परिसर में आने जाने वाले वाहनों, व्यक्तियों, कर्मचारियों, वस्तुओं एवं सम्पत्ती के संबंध में सुचनाएं निर्धारित प्रपत्र में संधारित करनी होंगी, जो प्रतिमाह कुलसचिव बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सौंपी जानी चाहिए।

27. सभी सुरक्षा कर्मीयों का बॅायोडाटा, आई.डी. प्रुफ, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ सुरक्षा एजेन्सी अपने स्वयं के व्यय पर कुलसचिव बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सौंपेगी।

28. कुलसचिव बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के मांगे जाने पर सुरक्षा एजेन्सी अपना रिकार्ड जांच एवं सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेंगी।

29. सुरक्षा एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुरक्षा कर्मीयों का प्रोविडेन्ट फंड ESIC contribution एवं अन्य सरचार्ज नियमानुसार जमा करेगें एवं इसकी सत्यापित प्रति आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेगें। इसके अभाव में भुगतान की कार्यवाही नही की जावेंगी।

30. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर सुरक्षा एजेन्सी के विरूद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

31. कार्यादेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा एजेंसी को विश्वविद्यालय की ओर 1000/– रूपये के शपथ पत्र पर शर्तो के मान्य करने की वचनबद्वता करनी होगी।

**//घोषणा//**

मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी बिन्दु 1 से 31 तक ध्यानपूर्वक देख ली गई है एवं मैं इससे सहमत हूं।

हस्ताक्षरः ............................................

नाम : ............................................

पद : ............................................

पता : ............................................

सील : ............................................

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल

## लिफाफा 'स' में रखें

## विश्वविद्यालय परिसर के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

निविदाकर्ता द्वारा दी गई कोटेशन की दर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु जारी आदेश में उल्लेखित दरों से कम नही होना चाहिए एवं निविदा जारी होने की तिथि पर लागू दरों से कम नही होना चाहिए। चूंकि उपरोक्त दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है। अतः सुरक्षा अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरे कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मान्य दरों से कम नही होंगी। इस हेतु अनुबंध कर्ता द्वारा बढी हुई दरों का आदेश प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय तदनुसार भुगतान करने बाध्य होगा ।

| क्र0 | विवरण | सर्विस चार्ज मासिक देयक की राशि पर लागू (बगैर सर्विस टेक्स जोड़े) (जो 0 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए) |
|---|---|---|
| 1 | सुरक्षा कर्मियों की सेवा प्रदान करने सर्विस चार्ज की दर | |

निविदाकर्ता यदि उपर्युक्त बिन्दु में दर्शाये उपबन्ध को अतिक्रमण करते हुए कम दरें कोट करता है तो ऐसी निविदा को संक्षेपत रूप से बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं उस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षरः ..................................................

नाम : ..................................................

पद : ..................................................

पता : ..................................................

सील : ..................................................

# कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म0 प्र0)

क्रमांक /306/ रा0वित्त0–2/2015 भोपाल,दिनांक 14 /07/2

// आ दे श //

मैं निशांत वरवडे, कलेक्टर जिला भोपाल, म0प्र0 वित्तीय नियमावली भाग-
परिशिष्ट–6 के नियम 43 के प्रावधानों एवं म0प्र0 शासन श्रम विभाग इन्दौर (
की अधिसूचना क्रमांक–एफ0–4(बी) 1/2014/ए–16, दिनांक 15/05/201
अनुसार भोपाल जिले के अकुशल दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों हेतु संशोधित मजदू
दिनांक 01/06/2015 से निम्नानुसार निर्धारित करता हूँ:–

अनुसूची

| श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन |
| अकुशल | 6500.00 | 250.00 | -- | -- | 6500.00 | 250.00 |

विशेष टीप :–

1. उपर्युक्त अनुसूची मे निर्धारित अकुशल श्रमिकों की दैनिक वेतन की दरें 26 दिवस से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं । इसलिए सभी श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय नहीं होगा अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कटॉत्रा किया जा सकेगा।
2. अर्धकुशल, कुशल श्रमिकों (मजदूरों) का वर्गीकरण पूर्वानुसार ही रहेगा ।

कलेक्टर,
जिला भोपाल